न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 27/2020, जी.सी.एम.एस. नं. 2020/00070

1. रामधन पुत्र परसादी लाल } जाति बैरवा निवासी आबादी की ढाणी महरावण्ड,
2. कमलेश पुत्र परसादरी लाल } तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर।

अपी0

बनाम

1. शंकर पुत्र श्रीया
2. मुरारी पुत्र श्रीया
3. मीठा लाल पुत्र गौरया
4. शम्भू पुत्र श्रवण
5. पप्पू पुत्र श्रवण

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास मु0न0 15/2018 निर्णय दिनांक 27.02.2020)

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री तरूण शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री रिषीराम मीना

निर्णय

दिनांक 28.12.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 15/2018 निर्णय दिनांक 27.02.2020 न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपी0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 रूल 13 जाप्ता दीवानी बाबत ... इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक ...09... को अपी0 सं. 01 व 02 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर दिनांक 04.05.2... को रेस्पों का दावा ... कर डिक्री कर दिया गया। विवादित ... रकबा 0.13 ऐयर खसरा ...80 रकबा 0.34 है0 खसरा नं. 681 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.66 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

स्थित ग्राम महरावण्ड रेस्पों. सं. 01 व 02 के पिता श्रीया व रेस्पों. सं. 03 के पिता गोरया ने उक्त आराजी मुवलिग 60,000/–रूपये में अपी0 के पिता को 03 बीघा जमीन पूर्ण रूपेण विक्रय कर दी। इस विक्रय राशि में 7000/– रूपये रजिस्ट्री के समय अदा करने की लिखी गई। इस लिखा पढी पर बतौर गवाह दो अन्य व्यक्ति सुरेश मीना व भरत लाल गुर्जर के हस्ताक्षर है। साथ ही इस लिखावट में यह भी इकरार किया कि अगर में बेचान से फिरू तो पन्द्रह गुना राशि अदा करूंगा। उक्त लिखा पढी सम्बत 2053 मिती जेठ सुदी 7 दिनांक 24.05.1996 को हुई थी जो अपी0 के पास है। खरीद के समय से ही उक्त विवादित आराजी पर अपी0 सं. 1 व 2 के पिता परसादी का कब्जा रहा। रेस्पों. के पिता व अपी0 के पिता परसादी का भी देहान्त हो गया है। अपी0 बदस्तूर उक्त आराजी पर आज भी काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पों. ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश कर एकतरफा डिक्री करा लिया जबकि आज भी कब्जा अपी0 का है। अपी0 को एकतरफा निर्णय की जानकारी दिनांक 10.07.2018 को जब कब्जा देने बाबत नायब तहसीलदार बरनाला पहुंचे, तब हुयी इससे पूर्व अपी0 को एकतरफा निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपी0 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही हो जाने पर दिनांक 16.07.2018 को अपी0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 रूल 13 पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त दावें में अपी0 को सुनवाई का अवसर दिया जावें व अधिनस्थ न्यायालय के एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2018 को अपास्त किया जावें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। अपी0 का प्रार्थना पत्र खारिज होने से अपी0 के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0 द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.02.2020 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विबादित आराजी ख.नं. 674, 680, 681 स्थित ग्राम महरावण्ड तहसील बामनवास अपी0 के पिता परसादी लाल की कयशुदा व कब्जाशुदा जायदाद रही है, जिसमें रेस्पों. 1 ल0 5 का कोई वास्ता नहीं है तथा उक्त भूमि रेस्पों. सं. 1 ल0 4 पिता श्रीया व गोरया ने 60,000–/ रूपये प्रतिफल के ऐवज में परसादी लाल को विक्रय कर दी थी तथा तब से ही उक्त विवादित आराजी पर अपी0 का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पों. द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था, जबकि कानूनन स्थायी निषेधाज्ञा के दावे के लिए भूमि पर दावा दायरी के दिन वादी का भूमि पर कब्जा होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आवश्यक है किन्तु पत्रावली पर कब्जे बाबत् कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी उक्त दावा एकपक्षीय रूप से डिक्री कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य है। कब्जे के अभाव में दावा वादी स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री नहीं किया जा सकता है। रेस्पों. सं. 1 ल0 4 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दावा बेदखली बावत् प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। दावा रेस्पों. प्रोपर फोर्म में नहीं था इस कारण दावा डिक्री किये जाने योग्य नहीं था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री कर कानूनी भूल की है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 09 रूल 13 सी.पी.सी. खारिज करने में कानूनी भूल की है, जो निरस्तनीय है। उक्त विवादित आराजी पर अपी0 का वर्षो से कब्जा है। रेस्पों. सं. 01 ल0 4 द्वारा अपी0 को अविधिक तरीके से भूमि से बेदखल किए जाने की साजिश से उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त दावें की आड में रेस्पों., अपी0 को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ तथा बिना सुनवाई का अवसर दिए उक्त आदेश अविधिक तौर पर पारित किया गया है। अपी0 की प्रोपर तामील भी नहीं हुई है। अपी0 को जारी सम्मनों पर गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं है। यदि अपी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता तो अपी0 निश्चय ही अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय में रखता। दिनांक 20.07.2020 को जब अपी0 अपने अधिवक्ता के पास अपने केस की जानकारी लेने गया तो अधिवक्ता ने कहा कि कोरोना के कारण मैं न्यायालय नहीं जा सका, तुम्हारें मुकदमें का मालूम करना पडेगा, जिस पर दिनांक 21.07.2020 को नकल प्राप्त की तब प्रकरण की जानकारी हो सकी। इससे पूर्व अपी0 को अधिनस्थ न्यायायल के उक्त निर्णय कि जानकारी नहीं थी। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवादित आराजी ख.नं. 674 रकबा 0.13 है0, ,ख.नं. 680 रकबा 0.34 है0, ख.नं. 681 रकबा 0.19 है0, ख.नं. 782 रकबा 0.26 है0, ख.नं. 783 रकबा 0.88 है0, ख.नं. 785 रकबा 0.12 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.92 है0 स्थित ग्राम आबादी की ढाणी महरावण्ड की है, जिस... सं. 1 ल0 5 संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से अनुसार का... अदा करते चले आ रहे है। खातेदार रेस्पों. सं. 3 के पिता ... चुका है। रेस्पों. सं. 3 गोरया के जायज वारिस है। विवादित आराजी ख.नं. 674 रकबा 0.13 है0, ख.नं. 680 रकबा 0.34 है0, ख.नं. 681 रकबा 0.19 है0 स्थित ग्राम आबादी की ढाणी महरावण्ड से अपी0 या अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है। उक्त भूमि पर रेस्पों.

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का अपने बुजुर्गान के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपी0 सं. 1 व 2 सरगना किस्म के लट्ठबाज व्यक्ति है जो अपने राजनैतिक पहुंच के कारण रेस्पों. की उक्त आराजीयात को जबरदस्ती लट्ठ के बल से हडपना चाहते है इसलिए आये दिन अपी0 सं. 1 व 2 रेस्पों. को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी के उपयोग, उपभोग व प्रयोग में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करते है तथा झगडा फसाद करने की फिराक में रहते हैं। दिनांक 08.06.2017 को रेस्पों. अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर खेतों में काम कर रहे थे तभी अपी0 सं. 1 व 2 कुछ अन्य लोगों को लेकर रेस्पों. की उक्त भूमि पर आ गये तथा रेस्पों. के साथ झगडा फसाद करने पर आमादा हो गये और रेंस्पों. से कहने लगे कि तुम्हें उक्त आराजी पर फसल नहीं करने देगें और तुम्हें गांव से निकालकर छोडेंगें। तब जाकर रेस्पों. ने अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर निवेदन किया कि अपी0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्ययन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्बत् 2072–75 वाके ग्राम आबादी की ढाणी के खाता सं. 83 के अनुसार विवादित आराजी शंकर, मुरारी पि.श्रीया हि0 1/3 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा विछोछ मुर्तहीन गोरया पुत्र पांच्या हि0 1/3 राहिन स.मा. स. भूमि वि. बैंक लि. शाखा गंगापुरसिटी मुर्तहीन श्रवण पुत्र पांच्या हि. 1/3 जाति बैरवा सा.देह खातेदार अंकित है। नामांतकरण सं. 195 दिनांक 20.06.2012 श्रवण पुत्र पांच्या के फौत होने पर उसके वारिसान श[illegible] पिसरान श्रवण जाति बैरवा के नाम स्वीकार किया गया है। [illegible] दायर करने के पश्चात रामधन व कमलेश को जरिये सम्मन [illegible] की तामील व्यक्तिशः रामधन व कमलेश पर हुई है। दिनांक 11.09.17 को बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। अपील मीमों के मद सं. 2 में रेस्पों. सं. 1 ल0

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

4 के पिता ने विवादित आराजी को प्रतिफल लेकर परसादी लाल को विक्रय करना बताया है। पत्रावली पर एक अपंजीकृत व अनस्टाम्पड लिखावट है, जिसके आधार पर कोई अधिकार जनित नहीं होते है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण विवेचन व विश्लेषण उपरान्त पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के मु0नं0 15/2018 निर्णय दिनांक 27.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner